संख्या- 18/2023/422 /001-17-1002-099-55-2019

प्रेषक,

प्रशान्त शर्मा
विशेष सचिव
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश

मत्स्य विभाग लखनऊः दिनांक 20 अप्रैल 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 12828.80 लाख की वित्तीय स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 01 /ले0शा0/बजट/ 2023-24 दिनांक 03 अप्रैल 2023 का कृपया सदंर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु प्राविधानित बजट के सापेक्ष मतदेय धनराशि रू0 12819.30 लाख एवं भारित धनराशि रू0 9.50 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 12828.80 लाख (रू0 एक अरब अटठाईस करोड अटठाईस लाख अस्सी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227 /दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च 2023 में अंकित दिशा-निर्देशानुसार, मतदेय धनराशि रू0 12819.30 लाख एवं भारित धनराशि रू0 9.50 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 12828.80 लाख (रू0 एक अरब अटठाईस करोड अटठाईस लाख अस्सी हजार मात्र) को श्री राज्यपाल प्रस्तर-2 में उल्लिखित विवरण/मदों के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/ शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।
(2) प्रश्नगत धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार प्राप्त नही होता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्कता होने पर ही किया जाय। एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबंनधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(4) सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाय और जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रति माह समान रूप से की जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(6) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशें का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) मानक मद 04 एवं 15 में आवंटित धनराशि का विनियमन इस प्रकार किया जाये, जिसमें पेट्रोल /यात्रा भत्ता बीजकों का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।

(8) विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ –साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(10) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित / वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियत्रंण के सम्बंध में शासनादेश संख्या- बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) स्वीकृत धनराशि का आहरण /व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च 2023 में दिये गये निर्देशों व अन्य सुसंगत शासनादेशों /नियमों में दिये गये निर्देशों /शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2405000010300 (अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	निर्गत धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1	017	2405000010300 अधिष्ठान	01 वेतन	12,27,13,000 (रुपये बारह करोड़ सत्ताईस लाख तेरह हजार मात्र)
2	017	2405000010300 अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	5,52,21,000 (रुपये पांच करोड़ बावन लाख इक्कीस हजार मात्र)
3	017	2405000010300 अधिष्ठान	04 यात्रा व्यय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
4	017	2405000010300 अधिष्ठान	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
5	017	2405000010300 अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
6	017	2405000010300 अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
7	017	2405000010300 अधिष्ठान	09 विद्युत देय	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
8	017	2405000010300 अधिष्ठान	10 जलकर / जल प्रभार	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
9	017	2405000010300 अधिष्ठान	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
10	017	2405000010300 अधिष्ठान	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
11	017	2405000010300 अधिष्ठान	13 टेलीफोन पर व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12	017	2405000010300 अधिष्ठान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
13	017	2405000010300 अधिष्ठान	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	16,00,000 (रुपये सोलह लाख मात्र)
14	017	2405000010300 अधिष्ठान	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
15	017	2405000010300 अधिष्ठान	29 अनुरक्षण	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
16	017	2405000010300 अधिष्ठान	42 अन्य व्यय => (भारित)	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
17	017	2405000010300 अधिष्ठान	42 अन्य व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
18	017	2405000010300 अधिष्ठान	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
19	017	2405000010300 अधिष्ठान	45 अवकाश यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
20	017	2405000010300 अधिष्ठान	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21	017	2405000010300 अधिष्ठान	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
22	017	2405000010300 अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
23	017	2405000010300 अधिष्ठान	51 वर्दी व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
24	017	2405000010300 अधिष्ठान	52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
25	017	2405000010300 अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	70,00,000 (रुपये सत्तर लाख मात्र)
26	017	2405000010300 अधिष्ठान	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			22,74,35,000 (रुपये बाईस करोड़ चौहत्तर लाख पैंतीस हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2405001090300 (मत्स्य पालन शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	017	2405001090300 मत्स्य पालन शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,40,000 (रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र)
	कुल			2,40,000 (रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्ष: 2405001900300 (मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	017	2405001900300 मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	62,50,000 (रुपये बासठ लाख पचास हजार मात्र)
2	017	2405001900300 मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता	31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	5,37,50,000 (रुपये पांच करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार मात्र)
3	017	2405001900300 मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता	53 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	40,42,000 (रुपये चालीस लाख बयालीस हजार मात्र)
	कुल			6,40,42,000 (रुपये छह करोड़ चालीस लाख बयालीस हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2405008000300 (अनुसंधान -सामान्य)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	01 वेतन	60,95,64,000 (रुपये साठ करोड़ पंचानबे लाख चौंसठ हजार मात्र)
2	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	02 मजदूरी	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	03 मंहगाई भत्ता	27,43,04,000 (रुपये सत्ताईस करोड़ तैंतालीस लाख चार हजार मात्र)
4	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	04 यात्रा व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
5	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
6	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	06 अन्य भत्ते	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
7	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	07 मानदेय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
8	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	08 कार्यालय व्यय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
9	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	09 विद्युत देय	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
10	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	10 जलकर / जल प्रभार	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
11	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
13	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	13 टेलीफोन पर व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
14	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
15	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
16	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	22,00,000 (रुपये बाईस लाख मात्र)
17	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	18 प्रकाशन	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
18	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
19	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	29 अनुरक्षण	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
20	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	42 अन्य व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	42 अन्य व्यय => (भारित)	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
22	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
23	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	45 अवकाश यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
24	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
25	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
26	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	49 चिकित्सा व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
27	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	51 वर्दी व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
28	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

29	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	55 मकान किराया भत्ता	3,50,00,000 (रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र)
30	017	2405008000300 अनुसंधान - सामान्य	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			95,49,68,000 (रुपये पंचानबे करोड़ उनचास लाख अड़सठ हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2405008000400 (प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	01 वेतन	1,45,34,000 (रुपये एक करोड़ पैंतालीस लाख चौंतीस हजार मात्र)
2	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	03 मंहगाई भत्ता	65,40,000 (रुपये पैंसठ लाख चालीस हजार मात्र)
3	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	04 यात्रा व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
5	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	06 अन्य भत्ते	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	08 कार्यालय व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
7	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	09 विद्युत देय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
8	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
9	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	13 टेलीफोन पर व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
11	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
12	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
13	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
14	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
15	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	49 चिकित्सा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	51 वर्दी व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
17	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
18	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	55 मकान किराया भत्ता	32,00,000 (रुपये बत्तीस लाख मात्र)
19	017	2405008000400 प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
	कुल			2,98,25,000 (रुपये दो करोड़ अट्ठानबे लाख पच्चीस हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2405008000500 (राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं	02 मजदूरी	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन		
2	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	04 यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
3	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	08 कार्यालय व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
4	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	09 विद्युत देय	24,00,000 (रुपये चौबीस लाख मात्र)
5	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	10 जलकर / जल प्रभार	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
6	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
7	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
8	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं	13 टेलीफोन पर व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन		
9	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
10	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
11	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	18 प्रकाशन	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
12	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	42 अन्य व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
13	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
14	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
15	017	2405008000500 राज्य स्तरीय एवं	51 वर्दी व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन		
	कुल			60,20,000 (रुपये साठ लाख बीस हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2405008001100 (प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	017	2405008001100 प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण	39 औषधि तथा रसायन	3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)

महायोग	1,28,28,80,000 (रुपये एक अरब अट्ठाईस करोड़ अट्ठाईस लाख अस्सी हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक- 17 मार्च, 2023 मे वित्त विभाग द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रशान्त शर्मा
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 18/2023/ 422 / 001-17-1002-099-55-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज
3- संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ
5- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0
6- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ
7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।